न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 79/2014

बनाम

वादीगण :–

1. महेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र भैरूलाल
2. भैरूलाल पुत्र गंगाराम
3. मोहनराम पुत्र खिंयाराम
4. रामजीवण पुत्र राजाराम
5. धोकलराम पुत्र जगमालराम
6. आयचुकी पत्नि धोकलराम जातियान माली निवासीगण भोपालगढ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
7. राजेश पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

प्रतिवादीगण :–

1. बीजाराम पुत्र शिवराम (फौत) के कायम मुकाम
   1/1 शोभाराम पुत्र बीजाराम
   1/2 इन्द्रा पुत्री बीजाराम
   1/3 संगीता पुत्री बीजाराम
   1/4 आसी पुत्री बीजाराम
2. पन्नाराम पुत्र शिवराम
3. रामनिवास पुत्र शिवराम
4. मंगलाराम पुत्र शिवराम
5. गुथरी पुत्री शिवराम
6. सुन्दर पुत्री शिवराम
7. सुगना पुत्री शिवराम
8. सीताराम पुत्र रूपाराम
9. किशोरराम पुत्र रूपाराम
10. श्यामलाल पुत्र रूपाराम
11. चन्दु पत्नि श्री रूपाराम
12. भींयाराम पुत्र लुम्बाराम
13. घीसाराम पुत्र मुलाराम
14. मांगीलाल पुत्र धोकलराम
15. धोकलराम पुत्र लखाराम (फौत) के कायम मुकाम
   15/1 मांगीलाल पुत्र धोकलराम
16. हरिकिशन पुत्र गुणेशराम (फौत) के कायम मुकाम :–
   16/1 धनाराम पुत्र हरिकिशन
   16/2 शिवलाल पुत्र हरिकिशन
   16/3 भिरमराम पुत्र हरिकिशन
   16/4 बालाराम पुत्र हरिकिशन
   16/5 रामलाल पुत्र हरिकिशन
   16/6 छोटाराम पुत्र हरिकिशन
   16/7 नेनाराम पुत्र हरिकिशन
   16/8 भंवरीदेवी पुत्री हरिकिशन
   16/9 नौजीदेवी पत्नि हरिकिशन
17. सीताराम पुत्र हिन्दुराम
18. हड़मानराम पुत्र हिन्दुराम
19. चौथाराम पुत्र लुम्बाराम जातियान जाट निवासीगण साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
20. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह वादीगण की ओर से
श्री मधुसुदन डुडी प्रतिवादी सं.14, 15/1 की ओर से
श्री संग्रामसिंह चौहान प्रतिवादी सं. 16/1 से 16/4 व 16/6 से 16/9 की ओर से

ह०/

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक :– 22.08.2019

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी
नियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम साथीन चक द्वितीय तहसील पीपाड शहर की
हद सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1986 रकबा 03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा,
खा नम्बर 1987 रकबा 07 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन खड्डा तथा खसरा नम्बर 1988
का 75 बीघा 03 बिस्वा किस्म चाही द्वितीय भूमि आई हुई है, जिसको आगे वाद पत्र में
ग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी के वादीगण व
वादीगण अभिलिखित सहखातदेार काश्तकार है वादग्रस्त आराजी मे से वादीगण नें
ग अलग पंजीबद्व बेचान से कुल 14 बीघा 13 बिस्वांसी भूमि मय बेरा वगैराह की भूमि
ौदसुदा कब्जासुदा है वादीगण का वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर
88 के दक्षिणी भाग के 14 बीघा 13 बिस्वांसी भूमि पर काबिज होकर सहखातेदार
श्तकार की हैसियत से उपयोग उपभोग करते आये है वादीगण के कब्जे व बंट वाली
मि के चारो तरफ खम्भे खडे करके तारबंन्दी की हुई है वादीगण के बंट व कब्जे की
मि के उत्तर में प्रतिवादीगण के हक हिस्से व बंट की भूमि आई हुई है जिस पर
तिवादीगण माफिक हक हिस्से अनुसार अलग अलग काबिज होकर काश्त कार्य करते
ाये है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1988 के दक्षिणी भाग की 14 बीघा 13 बिस्वांसी
ूमि पर वादीगण का वक्त खरीद से अलग कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादीगण का भी
अलग अलग कब्जा काश्त है लेकिन वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानून
अनुसार माप व सीमांकन के बंटवाडा किया हुआ नही है वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड
में अविभाजित कृषि भूमि है जिसका वादीगण माप व सीमांकन के बंटवाडा करवाकर
वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 1988 के दक्षिणी भाग की 14 बीघा 13 बिस्वांसी भूमि
बंटवाडा में प्राप्त करने के अधिकारी हैं इस पर यह वाद बाबत बंटवाडा का पेश है।
वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से समय समय पर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का
खाता सामलाती है मौके पर माफिक हक हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अलग
अलग काबिज होकर अलग अलग काश्त कार्य करते आये है इसलिए वादग्रस्त आराजी
का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय में चलकर वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा करवा
लेते है जिस पर प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल की एवं दिनांक 15.07.2014 को
प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से स्पष्ट मना कर दिया एवं ऐलानिया
कहा कि मौके की किमती भूमि पर स्थायी कब्जा करने की नियत से निर्माण वगेराह
करके रहेगें जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है
जिन्हे न्यायहित में जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है।
बिनाय दावा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण वाद में वर्णित तथ्यों व परिस्थितियो
अनुसार दिनांक 15.07.2014 को प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम ग्राम
साथीन चक द्वितीय में उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है एवं अन्त में इंस्तदुआ

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें । प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है ।

अतः ग्राम साथीन चक द्वितीय तहसील पीपाड़ शहर में स्थित राजस्व कृषि भूमि खसरानम्बर 1986 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 1987 रकबा 7 बिस्वा गै. मु.खड्डा तथा खसरा नम्बर 1988 रकबा 75 बीघा 3 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 75 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुए वादग्रस्त आराजी का माप व सीमांकन के बंटवाड़ा करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि माफिक निर्णय अनुसार राजस्व नियमो को मध्यनजर रखते हुए वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा एवं फर्द मौका के पेश करें । बंटवाड़ा प्रस्ताव करते समय प्रत्येक खातेदार के खेत तक पहुचने का रास्ता शामलाती भूमि में रखा जाकर प्रस्तावित करे एवं लगान का बंटवाड़ा अलग-अलग किया जावें । कमिश्नर फीस रूपये 1000/- रूपये वादीगण द्वारा मौका कमिश्नर को अदा की जायेगी । वादीगण के बंट व कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है । इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी की जावें ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

डिकी ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

ब अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

महेन्द्रप्रतापसिंह वगैरा बनाम बीजाराम वगैरा

दावा बाबत 53,188 आर टी एक्ट

राजस्व मूल वाद संख्या 79/2014

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील ओमप्रकाश कच्छावाह मनजानिब मुदई संग्राम सिंह चौहान, मधुसुदन डुडी, मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम साथीन चक द्वितीय तहसील पीपाड़ शहर में स्थित राजस्व कृशि भूमि खसरानम्बर 1986 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 1987 रकबा 7 बिस्वा गै.मु.खड्डा तथा खसरा नम्बर 1988 रकबा 75 बीघा 3 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 75 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुए वादग्रस्त आराजी का माप व सीमांकन के बंटवाड़ा करने के आदेश दिये जाते है । वादीगण के बंट व कब्जे काश्त की भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें । प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जाती है । अतः ग्राम साथीन चक द्वितीय तहसील पीपाड़ शहर में स्थित राजस्व कृशि भूमि खसरानम्बर 1986 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 1987 रकबा 7 बिस्वा गै.मु.खड्डा तथा खसरा नम्बर 1988 रकबा 75 बीघा 3 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 75 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुए वादग्रस्त आराजी का माप व सीमांकन के बंटवाड़ा करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को निर्देशित किया जाता है कि माफिक निर्णय अनुसार राजस्व नियमो को मध्यनजर रखते हुए वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा एवं फर्द मौका के पेश करें । बंटवाड़ा प्रस्ताव करते समय प्रत्येक खातेदार के खेत तक पहुचने का रास्ता शामलाती भूमि में रखा जाकर प्रस्तावित करे एवं लगान का बंटवाड़ा अलग–अलग किया जावें । कमिश्नर फीस रूपये ...00/– रूपये वादीगण द्वारा मौका कमिश्नर को अदा की जायेगी । वादीगण के बंट व कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निशेधाज्ञा जारी की जाती है । इस आशय की माफिक डिकी जारी की जावें ।

इसी अनुसार डिकी पर्चा जारी हो मुर्तिब हो ।

लीज ....शून्य ....मुवलिक ....शून्य............ बाबत ....शून्य............ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद..............................शून्य.................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..............शून्य...................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.08.2019 को जारी की गई।

दस्तखत.........
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मीजान.........			मीजान........		

नोट – इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।